

नव भारत



8वीं में फेल भी 10वीं, 12वीं की परीक्षा दे सकेंगे

फेल होने या फिर किसी और कारण से पढ़ाई छोड़ने वालों को फिर पढ़ाई का मौका देगी सरकार

सरकार लागू शिक्षा घर योजना

स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा में प्रजेंटेशन

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 21 मई. ऐसे बच्चे जो कि 8वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाए और फिर निराशा में या फिर किसी मजबूरी में यदि पढ़ाई छोड़ दिया है, तो कोई बात नहीं, आपमें बस फिर से पढ़ाई का जज्बा होना चाहिए. अब आपको बिना 8वीं पास किए ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने का मौका फिर मिलेगा.

राज्य सरकार ऐसे किशोर, किशोरी या युवक, युवती के लिए शिक्षा घर योजना लेकर आ रही है, जिसमें उन्हें ये मौका देने की तैयारी की गई है. गुरुवार को मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान इस संबंध में विभाग के सचिव संजय गोयल ने प्रजेंटेशन दिया. सीएम डॉ. मोहन यादव ने तत्काल इस योजना को सैद्धांतिक सहमति दे दी है. योजना का क्षेत्र सम्पूर्ण मद्र प्रदेश होगा,



जिसमें प्रदेश की सभी ग्राम, पंचायतों और नगरीय निकाय भी शामिल होंगे. योजना का क्रियान्वयन मद्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा. गुरुवार से मंत्रालय में विभागवार बैठकों का दौर शुरू हुआ, जिसमें मंत्रियों ने विभागों के कामकाज का ब्यौरा पेश किया. शुरुआत स्कूल शिक्षा विभाग से हुई. बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समग्र विक्रमादित्य की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाये. गुरु सांदिपनि के

जीवन पर भी रोचक पुस्तक तैयार की जाए. स्कूली शिक्षा में कक्षा 8 से 12 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के कौशल को कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी एक कार्य योजना तैयार की जाए. निजी विद्यालय खोलने के लिए सामाजिक संस्थाओं और संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाए. अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक जुलाई से पहले पूरी कर ली जाए. सत्र प्रारंभ होने से पहले स्कूलों में सभी पूर्व तैयारियां कर ली जाएं. प्रदेश की सभी आंशिक जीर्ण-शोण शालाओं

को तत्काल मरम्मत करा ली जाए. सभी स्कूलों में बाउण्ड्री वॉल्लस बनाई जाए. एक जुलाई से गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई तक शिक्षक वंदना कार्यक्रम, अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों को मौजूदगी में आयोजित किया जाए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभागीय गतिविधियों में तेजी लाएं और 16 जून से प्रारंभ हो रहे शैक्षणिक सत्र से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं. स्कूलों में पूर्व छात्र-छात्रा सम्मेलन कराए जाएं, ताकि ऐसे

पैक्स में 10 लाख नए सदस्य जोड़ें: सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी पैक्स में नवीन सदस्य बनने के लिए सदस्यता अभियान 30 जून तक चलाए. गत 14 अप्रैल से शुरू सदस्यता अभियान के जरिए पैक्स में 10 लाख नवीन सदस्य जोड़ें. उन्होंने कहा कि वर्ष में सवा लाख नए केसीसी स्वीकृति का लक्ष्य रखें. मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को मंत्रालय में सहकारिता विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सुदृढीकरण की सराहना करते हुए कहा कि अगले 3 साल में सभी कमजोर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का सुदृढीकरण किया जाए. बताया गया कि गत दस वर्षों में 18 कमजोर जिला बैंकों में से 6 की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है. शासकीय अंश पूंजी सहायता से 6 जिला बैंक रीवा, सतना, जबलपुर, शिवपुरी, ग्वालियर एवं दतिया को सुदृढ करने का प्रयास है. अगले चरण में अन्य 6 भिंड, मुरैना, रायसेन, सागर, सीधी और नर्मदापुरम बैंक के सुदृढीकरण का कार्य किया जाएगा. सीएम ने कहा कि पैक्स से लेन-देन की प्रक्रिया को मोबाइल ऐप के जरिए किए जाने के प्रयास किए जाएं. इस पर बताया गया कि प्रदेश की सभी 4536 पैक्स को केंद्र प्रायोजित कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत कंप्यूटरीकृत कराया गया है. शत-प्रतिशत कंप्यूटराइजेशन से योजना क्रियान्वयन में प्रदेश देश में अग्रणी है.

विद्यार्थी जो अपने विद्यालय से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, वे उस विद्यालय के विकास-विस्तार में कुछ योगदान भी कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जिन शालाओं में शत-प्रतिशत रिजल्ट आया है, उनके शिक्षकों का सार्वजनिक सम्मान किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को ऐसे जिलों को

चिन्हित करने को कहा, जहां सभी शालाओं में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध हों, साथ ही भौतिक एवं मानव संसाधन की कमी वाले जिलों को भी अलग श्रेणी तैयार की जाए. इससे सरकार को इन्हीं जिलों पर फोकस करने में आसानी होगी. कमी वाले जिलों पर इसी साल से काम प्रारंभ किया जाएगा.



गंदगी देख नाराज हुए ऊर्जा मंत्री, दिखाए सख्त तेवर

उप नगर विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण करने पहुंचे तोमर

ग्वालियर, 21 मई. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गुरुवार को उप नगर ग्वालियर के चंदनपुरा, विनय नगर और शब्द प्रताप आश्रम इलाकों में जन समस्यओं तथा विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान एक्शन मोड में नजर आए। गुरुवार सुबह भोपाल से ग्वालियर पहुंचते ही ऊर्जा मंत्री तोमर ने उपनगर ग्वालियर के वार्ड नंबर 16 स्थित चंदनपुरा में निर्माणधीन सिंधिया पार्क में निरीक्षण किया। यहां उन्होंने पेविंग ब्लाक लगाने, वाटर हार्वैस्टिंग करने स्ट्रीट लाइट व्यवस्था कराने तथा ओपन ग्रीन खेलने के साथ ही सामुदायिक भवन की छत का

निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री तोमर ने चंदनपुरा स्थित निर्माणधीन नवीन नाले का निरीक्षण करते हुए कार्य की गुणवत्ता बेहतर रखने की बात कही। साथ ही सिंधिया पार्क के नजदीक स्थित पुराने नाले में गंदगी देखकर नगर निगम अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि बरसात से पहले 20 दिन के अंदर मुझे इस लाइन में सुपर सकर मशीन से सफाई दिखनी चाहिए। अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। उन्होंने चंदनपुरा एवं न्यू चंदनपुरा क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान सीवर लाइन, नाला एवं पार्क की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैंक कर्मचारियों पर 53 लाख की हेराफेरी का केस दर्ज

103 खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी

जाली हस्ताक्षर कर ऋण राशि हड़पने का आरोप

नवभारत न्यूज नर्मदापुरम, 21 मई. थाना देहात क्षेत्र के रसूलिया स्थित ईसाप स्माल फाइनेंस बैंक में लाखों की बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला बड़ा घोटाला सामने आया है. बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर समेत कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी ऋण प्रक्रिया और अवैध निकासी के जरिए 103 खाताधारकों से 53 लाख रुपये से ज्यादा की हेराफेरी की. पुलिस ने बैंक के पूर्व शाखा

प्रबंधक सहित अन्य कर्मचारियों के खिलाफ धारा 318(4), 338, 336(3), 340 (2) एवं 3 (5) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है. यह कार्यवाही सीजेएम के आदेश के पालन में की गई. मामले के फरियादी भोपाल निवासी विशाल चतुर्वेदी हैं, जो बैंक में क्लर्क हेड के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया है कि बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर ओमपुरी सिक्की मालवा और पूर्व टेलर-कैशियर प्रियंका गोस्वामी बनखेड़ी तथा उनके अन्य साथियों ने मिलकर वर्ष 2021 से 2024 के बीच योजनाबद्ध तरीके से बैंक खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी की. शिकायत के अनुसार आरोपियों ने ग्राहकों के ऋण संबंधी दस्तावेजों में हेराफेरी कर जाली

इनका कहना है

देहात थाने के एसआइ सुखनन्दन नरें ने बताया कि महिला खाताधारकों के नाम पर 53 लाख से अधिक लोन निकाला गया है. जांच आगे बढ़ने पर यह राशि और बढ़ सकती है तथा अन्य पीड़ित खाताधारकों के नाम भी सामने आ सकते हैं. पुलिस बैंक रिकॉर्ड, निकासी पर्चियों, ऋण दस्तावेज और ग्राहकों के बयान जुटा रही है. वहीं बैंक प्रबंधन भी आंतरिक स्तर पर पूरे प्रकरण की जांच कर रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे अन्य धाराएं भी बढ़ाई जा सकती हैं तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हस्ताक्षर किए और कई मामलों में ग्राहकों को यह कहकर गुमराह किया कि उनका ऋण स्वीकृत नहीं हुआ या रद्द कर दिया गया है, जबकि वास्तविकता में ऋण राशि जारी हो चुकी थी. आरोप है कि उक्त राशि आरोपियों द्वारा स्वयं हड़प ली गई. मामले का खुलासा तब हुआ जब महिलाओं के मोबाइल पर लोन की किश्त भरने का मैसेज आया. जांच में यह भी सामने आया कि कई ग्राहकों की जानकारी और अनुमति के बिना उनके खातों से काउंटर के माध्यम से राशि निकाली गई. कुछ मामलों में खाताधारकों के पास एटीएम कार्ड होने के बावजूद ओटीसी निकासी दर्शाकर लेन-देन किया गया, जिससे बैंकिंग प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

नहाने गए तीन युवकों की डूबने से मौत

देवास. मध्यप्रदेश के देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र में नर्मदा नदी में नहाने गए चार दोस्तों में से तीन युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक युवक को सुरक्षित बचा लिया गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार खातेगांव क्षेत्र के चार युवक गुरुवार दोपहर राजौर क्षेत्र में नर्मदा नदी में नहाने के लिए पहुंचे थे. नहाते समय वे लगे पानी में चले गए और डूबने लगे. मौके पर मौजूद स्थानीय नाविकों और ग्रामीणों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया. करीब 15 फीट गहरे पानी से तीन युवकों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी. एक युवक को सुरक्षित बचा लिया गया.

पोते की शादी के लिए किया पोती का सौदा

13 साल की बच्ची का 42 साल के व्यक्ति से हो रहा था बाल विवाह नव भारत न्यूज इंदौर. परिवार की एक शर्त ने 13 साल की मासूम का बचपन छीन लिया. पोते की शादी करने के लिए दादा दादी ने अपनी ही पोती का सौदा कर उसे 42 साल के व्यक्ति से ब्याह दिया. मामले में राऊ पुलिस ने दूल्हे समेत 13 लोगों पर केस दर्ज किया है. मामला रंगवासा क्षेत्र का है, जहां 19 वर्षीय युवक की शादी तय थी. उसकी होने वाली पत्नी ने शर्त रखी कि वह तभी शादी करेगी, जब उसकी ननद की शादी उसके 42 वर्षीय सगे चाचा से कराई जाएगी. इस शर्त को पूरा करने के लिए परिवार ने 13 साल की बच्ची



की जबर्न शादी करा दी. महिला एवं बाल विकास विभाग की पहले ही इसकी भनक लग गई थी. 25 अप्रैल को फ्लाइंग स्क्वाड ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश दी, जिस पर उन्होंने शादी नहीं करने का लिखित आश्वासन दिया था. इसके बावजूद 26 अप्रैल की रात को बच्ची को चुपचाप उज्जैन ले जाया गया. चिंतामन गणेश मंदिर

के बाहर रात में ही मांग भरकर शादी कर दी गई और फिर बच्ची को वापस इंदौर छोड़ दिया. शादी के बाद बच्ची पर ससुराल जाने का दबाव बनाया, विरोध करने पर दादी ने उसकी पिटाई तक कर दी. इसके बाद बच्ची की मां ने बाल कल्याण समिति में शिकायत की, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ. मामले में फ्लाइंग स्क्वाड प्रभारी महेंद्र पाटक ने बताया कि पहले समझाइश देकर शादी रूकवाई गई थी. लेकिन परिजनों ने चोरी छिपे इसे अंजाम दे दिया. बच्ची के बचाने का आधार पर पूरी साजिश सामने आई है, सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

भाजपा अध्यक्ष खण्डेलवाल आज से दौरे पर

ग्वालियर. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल



22 एवं 23 मई को गुना, अशोकनगर, शिवपुरी एवं ग्वालियर ग्रामीण के प्रवास पर रहेंगे. हेमंत खण्डेलवाल 22 मई को प्रातः 11.30 बजे गुना के ग्रीन माउंटेन गादर की गुफा, ए.बी.रोड में जिला प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करेंगे. दोपहर 3.30 बजे अशोकनगर के थोमन जी में जिला प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करेंगे. खण्डेलवाल 23 मई को प्रातः 11 बजे शिवपुरी में जिला प्रशिक्षण वर्ग के द्वितीय सत्र में शामिल होंगे.

हाईकोर्ट की मुख्यपीठ से भोपाल को काटने की साजिश का विरोध

मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया पत्र

जबलपुर, 21 मई. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर के क्षेत्राधिकार में आने वाले भोपाल को काटकर खंडपीठ इंदौर के क्षेत्राधिकार में शामिल किए जाने की साजिश का विरोध शुरू हो गया है. इस सिलसिले में नागरिक उपाधेयता मार्गदर्शक मंच व डेमोक्रेटिक लायर्स फोरम सहित अन्य की ओर से मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा गया है. डा. पीजी नाजपांडे, रजत भार्गव, अधिवक्ता रवींद्र गुप्ता, वेदप्रकाश अधोलिया व ओपी

यादव सहित अन्य ने इस सिलसिले में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा को एक पत्र भेजा गया है. जिसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट का पहले ही दो बेंच के रूप में विखंडन हो चुका है. पूर्व में मुख्यपीठ जबलपुर से हटाने की कोशिश भी हुई थी. जिसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर होने के बाद साजिश नाकाम हो गई थी. लेकिन एक बार फिर वैसी ही कवायद की जानकारी मिली है. कायदे से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में विभिन्न आयोग व अधिकरणों के मुख्यालय भी जबलपुर में होने चाहिए.

अवैध रेत उत्खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

एमपी और राजस्थान सरकार के संबंधित अधिकारियों को तलब

मुंरेना, 21 मई. राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार को एक बार फिर कड़ी फटकार लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को तलब किया है. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मध्यप्रदेश सरकार से पूछा कि अभयारण्य क्षेत्र में बिना नंबर प्लेट वाले वाहन किस प्रकार संचालित हो रहे हैं. कोर्ट ने ऐसे वाहनों की पहचान कर जन्वी की कार्रवाई करने तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.



न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के पालन और दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विस्तृत सपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल प्राथमिकी दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अवैध खनन के वास्तविक मास्टरमाइंड और खनन के मुख्य स्रोत तक पहुंचकर उनके खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से तलब करते हुए यह जानकारी मांगी है कि नियमों का उल्लंघन करने और अवैध खनन को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है.

कार्रवाई निकल रहा है, ब्लैकमेलिंग का बड़ा जाल, सागर से पकड़ी नेटवर्क ऑपरेंटर महिला

हनी ट्रैप सिंडिकेट में एक-एक कर पकड़ में आ रही कड़ियां

नव भारत न्यूज इंदौर. पिछले दिनों शहर में सामने आए हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है. सागर से एक और महिला की गिरफ्तारी के साथ अब तक इस मामले में आधा दर्जन से ज्यादा आरोपी पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं. पछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह सुनियोजित तरीके से नेताओं, कारोबारियों और अफसरों को फंसाकर ब्लैकमेलिंग का बड़ा नेटवर्क चला रहा था. क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक सागर से पकड़ी गई महिला रेणू

उर्फ अभिलाषा चौधरी इस नेटवर्क की अहम कड़ी है. वह पूर्व में भाजपा के एक प्रकोष्ठ से भी जुड़ी रही है और अन्य महिला आरोपियों के साथ मिलकर टारगेट तय करने और जाल बिछाने में सक्रिय भूमिका निभाती थी. जबकि इससे पहले पुलिस मामले को मास्टरमाइंड श्वेता विजय जैन, महिला शराब तस्कर अलका दीक्षित, उसका बेटा जयदीप, प्रॉपर्टी कारोबारी लाखन चौधरी और हेड कॉन्टेन्टबल विनोद शर्मा, जितेंद्र पुरोहित को हिरासत में ले चुकी है. इस तरह अब तक 7 से अधिक आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं.



वहीं पूछताछ में सामने आया है कि श्वेता विजय जैन के जरिए रेणू और अलका के बीच संपर्क हुआ था, जिसके बाद तीनों ने मिलकर पूरा गिरोह खड़ा किया था. रेणू ने अलका को कई

प्रभावशाली लोगों के संपर्क होने की जानकारी दी थी, जिनमें नेता, प्रॉपर्टी कारोबारी, फाइनेंस और अफसर शामिल थे. इन्हें निशाना बनाकर आसानी से मोटी रकम वसूलने की योजना बनाई गई. जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि गिरोह ने निम्नाइ क्षेत्र के एक प्रभावशाली नेता को भी टारगेट किया था. वहीं, एक कारोबारी को ब्लैकमेल करते समय आरोपियों ने बड़े लोगों के आपत्तिजनक वीडियो होने का हवाला देकर दबाव बनाया. पुलिस को आरोपियों के मोबाइल फोन से कुछ ऑडियो वीडियो फाइलें भी मिली हैं, जिन्हें अहम सबूत माना

जा रहा है. इन डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों और पीड़ितों की पहचान की जा रही है. क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि श्वेता विजय जैन और अलका दीक्षित को दोस्ती जेल में हुई थी. बाद में रेणू को इस नेटवर्क में जोड़ा और तीनों ने मिलकर पूरे ब्लैकमेलिंग रैकेट को रूप रेखा तैयार की. चिंटू ठाकुर से जुड़े इस मामले में यह भी सामने आया है कि शिकायत के करीब 19 दिन बाद एफआईआर दर्ज की. चिंटू ठाकुर पहले से ही आजाद नगर थाने में हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी है.

अन्य की तलाश जारी : डीसीपी

पूरे मामले में डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी ने बताया कि गिरोह संगठित तरीके से काम कर रहा था और जांच में लगभग नए तथ्य सामने आ रहे हैं. आरोपियों से पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों को तलाश की जा रही है.

समर्थ सिंह अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण में

जबलपुर, 21 मई. भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को बहू दिवशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए पति समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पेश किया है. समर्थ पर मृतका पत्नी दिवशा को प्रताड़ित करने के आरोप हैं. मामले पर शुक्रवार को सुनवाई

दिवशा शर्मा की मौत का मामला होगा. जमानत आवेदन में पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की गई है. इससे पहले भोपाल की कोर्ट ने 18 मई को आरोपी पति समर्थ सिंह को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. समर्थ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेन्द्र सिंह हाईकोर्ट में पेश करेंगे.